"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2010—पौष 11, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्रीमती ऋचा शर्मा, भा. प्र. से. (1994), को भारत सरकार में उनकी प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के फलस्वरूप अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती ऋचा शर्मा, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत राज्य शासन अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

क्रमांक 3483/2219/2009/1/2.—श्री पि. रमेष कुमार, भा. प्र. से., आयुक्त, उद्योग एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 05-12-2009 को एक दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 06-12-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पि. रमेष कुमार, आगामी आदेश तक आयुक्त, उद्योग एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पि. रमेष कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पि. रमेष कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/6/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 04-01-2010 से 13-01-2010 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 03-01-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री राधाकृष्णन के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. सी. सिन्हा, भा. प्र. से., सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/23/2004/1/2.—श्री एस. के. कुजूर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 23-12-2009 से 02-01-2010 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 03-01-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कुजूर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री कुजूर के उक्त अवकाश अवधि में श्री के. के. बेहार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का कार्य सम्पादित करेंगे तथा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का चालू कार्य श्रीमती निधि छिब्बर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग सम्पादित करेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/142/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. पी. चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 01-11-2009 से दिनांक 07-11-2009 तक कुल 07 दिवस के लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री एम. पी. चौधरी, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. पी. चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/147/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे (2001), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, छ. ग. रायपुर को व्यक्तिगत कार्य के लिए दिनांक 21-12-2009 से दिनांक 02-01-2010 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 19-20 दिसंबर तथा दिनांक 03-01-2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

2. डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे (2001), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे (2001), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे (2001), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/07/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एस. आई. बी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को सपरिवार (पत्नी श्रीमती निति तथा मास्टर हनू सहित) खंड वर्ष 2008-09 के अंतर्गत गृह नगर मेरठ जाने हेतु दिनांक 21-12-2009 से दिनांक 26-12-2009 तक कुल 06 दिवस के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19-20 एवं 27 दिसंबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एस. आई. बी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एस. आई. बी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एस. आई. बी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-25/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) की धारा 3 (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रमाणीकरण अधिकारी नियुक्त करता है.

No. F 1-25/2008/16.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (a) of the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Order) Act, 1961 (No. 26 of 1960) and in supersession of all notifications issued in this behalf previously, the State Government hereby appoints Assistant Labour Commissioner, office of the Labour Commissioner, Raipur as the Certifying Officer for the whole of the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2009

क्रमांक 2-52/2002/12.—जिला उत्तर बस्तर कांकेर एवं दुर्ग अन्तर्गत गोल्ड, डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 1800 वर्ग कि. मी. क्षेत्र के लिए मेसर्स बी. एच. पी. खनिज अन्वेषण प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 02-08-2006 से 01-08-2009 तक (03) तीन वर्ष की अवधित के लिये रिकॉनिसेन्स परमिट स्वीकृत था. उक्त स्वीकृत रिकोनेसेन्स परमिट की दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कंपनी द्वारा संपूर्ण क्षेत्र का त्याग (Relinquish) करने के फलस्वरूप नीचे विवरण में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के अन्तर्गत 1800 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र खाली हो गया है, जिसे खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत पुनः खनिज रियायत स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

अनुसूची

जिला	आवेदित क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का विवरण उत्तर बस्तर कांकेर एवं दुर्ग 64/D, H & A, E		
	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
उत्तर बस्तर कांकेर एवं दुर्ग	A	20°30'00"	81°02'58"
	B	20°21'40"	81°20'15"
	C	19°59'10"	81°14'15"
	D	19°59'00"	80°57'55"
	E	20°01'16.50"	80°57'36.24"
	F	20°01'04.26"	80°58'08.31"
	G	20°03'00.75"	81°00'28.53"
	H	20°04'04.26"	80°59'54.30"
	I	20°02'020"	80°57'30"

2. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के तिथि से 30 दिवस पश्चात् खनिज रियायत के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2009

क्रमांक 2-51/2002/12.—जिला बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर अन्तर्गत गोल्ड, डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 1700 वर्ग कि. मी. क्षेत्र के लिए मेसर्स बी. एच. पी. खनिज अन्वेषण प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 02-08-2006 से 01-08-2009 तक (03) तीन वर्ष की अवधित के लिये रिकॉनेसेन्स परमिट स्वीकृत था. उक्त स्वीकृत रिकोनेसेन्स परमिट की दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कंपनी द्वारा संपूर्ण क्षेत्र का त्याग (Relinquish) करने के फलस्वरूप नीचे विवरण में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के अन्तर्गत 1700 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र खाली हो गया है; जिसे खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत पुन: खनिज रियायत स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

अनुसूची

जिला	आवेदित क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का विवरण उत्तर बस्तर कांकेर एवं दुर्ग 64/D, H & A, E		
	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर	A	19°59'0.87"	81°00'15.50"
	B	19°59'03.61"	81°28'48.32"
	C	20°02'27.71"	81°29'43.07"
	D	20°04'03.23"	81°44'58.98"
	E	19°52'20.43"	81°44'58.98"
	F	19°52'20.43"	81°30'02.99"
	G	19°50'53.96"	81°30'02.99"
	H	19°50'57.69"	81°26'39.11"
	I	19°48'40.23"	81°26'37.98"
	J	19°48'41.09"	81°11'56.92"
	K	19°52'19.07"	81°14'03.72"
	L	19°52'28.87"	81°12'02.72"
	M	19°50'58.99"	81°07'39.88"
	N	19°55'36.84"	81°07'38.96"
	O	19°55'54.38"	81°05'01.03"
	P	19°48'44.11"	81°04'24.03"
	Q	19°48'44.84"	81°00'11.96"

2. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के तिथि से 30 दिवस पश्चात् खनिज रियायत के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 01/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	अमलीडीह प. ह. नं. 114	265	160.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 से एयरपोर्ट (हवाई तल) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			266/2 से 5	1032.00		
			267/1-2, 270/4	552.00		
			268/2, 269/2	560.00		
			289/2-4	380.00		
			289/16	300.00		
			289	60.00		
			289/34	580.00		
			289/48, 289/61	520.00		
			289/10, 289/50	720.00		
			289/92	210.40		
			289/49, 289/90	392.00		
			289/28, 39, 68	850.00		
			289/174	520.00		
			289/49, 289/90	392.00		
			289/28, 39, 68	850.40		
			289/174	520.00		
			292	140.00		
			271/3	549.60		
			271/2-4-5, 272/2-4-5	725.60		
			270/3	600.00		
			269/3	670.40		
			289	185.60		
			289/31	529.60		
			289, 207	370.40		
			289/172	320.00		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			289/26	1100.00		
			289/13, 289/38	1680.00		
		योग	28	15470.40		

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 02/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	टेमरी प. ह. नं. 54	33/2, 3, 7, 8, 35/1, 3, 4, 5	1200.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 से एयरपोर्ट (हवाई तल) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			36/1	860.00		
			35/2	960.00		
			41/1, 3	500.00		
			39/7	100.00		
			39/3	520.00		
			39/5	280.00		
			40/1	520.00		
			40/5	200.00		
			40/3	360.00		
			40/4	450.00		
			41/5	450.00		
			41/4, 41/6	1000.00		
			41	70.00		
			57	200.00		
			56/3, 4, 7 से 12	680.00		
			57/1	360.00		
			57/5	1300.00		
			55/1, 55/3, 72/1	600.00		
			70/4	120.00		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			72/4	200.00		
			72/5	540.00		
			72/7	220.00		
			72/8	560.00		
			73/1	760.00		
			73	390.00		
			73/6, 7	360.00		
			73	80.00		
			73/15-16, 53/3	300.00		
			53/12, 73/18, 19 74/3	400.00		
			75/3	560.00		
			75/1	480.00		
			76/3	920.00		
			76/1	1040.00		
			77, 78, 79/4	350.00		
			77, 78, 79/6	300.00		
			77, 78, 79/3	400.00		
			77, 78, 79/8	480.00		
			376/1, 376/4	3340.00		
			358	580.00		
			356/1	200.00		
			354/1, 357/1, 355/1	400.00		
			361/4, 5	240.00		
			362/1, 2	380.00		
			361	300.00		
			361/3, 6 362/4	250.00		
			288/4	1400.00		
			288/5, 288/12	1560.00		
			289/1	260.00		
			289/3	40.00		
			290/3	600.00		
			290/9	200.00		
			298/1	400.00		
			290/7	720.00		
			298/2, 298/3	880.00		
			298/5	400.00		
			298/7	100.00		
			299/1	760.00		
			300/1	100.00		
			330/3	450.00		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			337/5	200.00		
			332/17	400.00		
			330/1, 331/1	560.00		
			329/1	600.00		
			329/6	300.00		
			325/2	1060.00		
			325/5	640.00		
			310/1	1260.00		
			310/3, 323/1	520.00		
			311/36	360.00		
			311/9, 311/29	600.00		
			311/4, 311/28	780.00		
			311/3	200.00		
			311/6	360.00		
			311/21, 311/27	760.00		
			311/7	200.00		
			311/3	410.00		
			311/10	840.00		
			311/24	100.00		
			311/22	300.00		
		योग	80	43080.00		

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 03/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तेलीबांधा प. ह. नं. 113	614, 613	160.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 से एयरपोर्ट (हवाई तल) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			612/2, 614/1, 615/5	500.00		
			614/3, 615/16, 615/21	800.00		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			617	920.00		
			617	1070.40		
		योग	5	3450.40		

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 04/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्ग मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बनरसी प. ह. नं. 54	339/1	200.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 से एयरपोर्ट (हवाई तल) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			344, 345/1, 2	960.00		
			347/1	1090.40		
			347/2	460.00		
			340/2, 341	650.40		
			343, 342/1, 1	1200.00		
			349/2	210.40		
			393/4	300.00		
			349/1	180.00		
			393/1, 3, 392/1	790.40		
			391/2	890.40		
			390	80.00		
			388/67	460.00		
			388/1, 2, 3, 8, 9, 10 11	1010.40		
			392/2, 3 392/4, 5	1040.00		
			391/3, 408/2	1200.00		
			390	80.00		
			408	230.40		
			412/3, 4, 412/5	150.40		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			383/2, 3, 4, 5, 6	1900.00		
			419/2	100.00		
			410/2	400.00		
			383/1, 8, 9	600.00		
			419/2	664.00		
		योग	24	14847.20		

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 05/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्ग मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	धरमपुरा प. ह. नं. 54	302/15	400.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 से एयरपोर्ट (हवाई तल) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			302/21, 302/28	860.00		
			302/22, 23	300.00		
			302/24	240.00		
			302/25	240.00		
			302/26	300.00		
			302/31	600.00		
			302/32	200.00		
			302/38	200.00		
			351/1	400.00		
			351/5, 6, 12	1470.00		
			351/13	100.00		
			351/2, 7	600.00		
			351/10	770.00		
			351/9	780.00		
		योग	15	7460.00		

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 06/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्ग मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डुमरतराई प. ह. नं. 52	110/3, 8	1250.40	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 से एयरपोर्ट (हवाई तल) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			110/6, 110/15, 16, 17	302.50		
			139/4 142/23	323.20		
			142/10	400.00		
			142/20, 22	1100.00		
			142/4	304.00		
			142/32, 33	257.60		
			142	110.40		
			142/31	250.40		
			142/3	910.40		
			142/25, 142/26, 142/29	900.00		
			142/2, 18, 5, 6, 7, 19	480.00		
		योग	**12**	**6588.90**		

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 07/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्ग मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	पुरैना प. ह. नं. 113	336	200.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 से एयरपोर्ट (हवाई तल) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			337/2, 337/6	400.00		
			337/7, 337/8	700.00		
			347/1, 348/1, 2, 3	929.60		
			347/9	350.40		
			347/7, 8	460.00		
			346/2	810.40		
			405/2, 405/4, 405/5	540.00		
			405/3-6, 415/2	900.00		
			409/10, 409/12	620.00		
			409/8, 409/4, 390/1, 391, 410	1770.00		
			410/3-13	620.00		
			410	100.00		
			336	100.00		
			337/4	600.00		
			337/3, 337/5	640.00		
			331/2	410.40		
			347/2, 347/4, 347/5-6	1010.40		
			343/1, 344/2, 347/11, 345/2	1620.00		
			415/3-4-5, 145/10-11-14	350.40		
			415/8	300.00		
			415/6	534.40		
			409	430.40		
			412/2-3	380.00		
			409/11, 410/17, 411/3	176.00		
			410/6-7-9-10-12	980.00		
			410/21	200.00		
			410	110.40		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			462/2-3-4-5	752.00		
			347	100.00		
		योग	30	17094.80		

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 08/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्ग मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	फुण्डहर प. ह. नं. 114/45	10/9, 10, 11	780.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 से एयरपोर्ट (हवाई तल) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			11	180.00		
			136/120, 38/120	280.00		
			136/53, 138/53	269.60		
			136/52, 138/52	460.00		
			136/95, 138/95, 136/146, 136, 146	900.00		
			136/19-20-23, 138/19-20-23	1020.00		
			140/3, 141/3, 142/3	770.40		
			144/1	160.00		
			140/23-24 141/23-24 142/23-24	520.00		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			140/38, 141/38, 142/38	104.00		
			141/36, 141/36, 142/36	440.00		
			195/25-26	400.00		
			195/5	360.00		
			202/4	289.60		
			202/8	800.00		
			120/3	240.00		
			208/1-2, 208/5	1200.00		
			212/3-4	490.40		
			214/2	770.40		
			218/1	125.60		
			218/3	345.60		
			218/5	160.00		
			90/2	640.00		
			10/2, 3, 4	900.00		
			11	180.00		
			136/66, 138/66	345.60		
			136/76, 138/76	350.40		
			136/25, 25, 138/25, 26	940.00		
			136/125, 138/125	410.40		
			136/126, 138/126	150.40		
			136/127, 138/127	490.40		
			140/29, 141/29, 142/29	150.40		
			140/141/142	500.00		
			140/35, 141/35, 142/35	490.40		
			140/141/142	290.40		
			140/32, 141/32, 142/32	730.40		
			140/19, 141/19 142/19	160.00		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			140/17, 141/17, 142/17	260.00		
			195/24	400.00		
			195/5	360.00		
			202/1-5	160.00		
			202/3	870.40		
			202/9-10	710.40		
			202/7-3	160.00		
			209/3-4	630.40		
			208/3, 212/2	832.00		
			214/3	770.40		
			90/2	960.00		
		योग	**49**	**23908.00**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	केराखोल प. ह. नं. 31	0.516	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग.	केराखोल नूनदरहा मार्ग पर पांझर नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक 06 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का व[illegible]न-
- (क) जि[illegible]ा-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तह[illegible]ील-जांजगीर
- (ग) न[illegible]/ग्राम-बनारी, प. ह. नं. 51
- (घ) ल[illegible]भग क्षेत्रफल-6.91 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
546	0.15
547	0.46
548	0.23
549	0.27
550	0.54
545/1, 551/1	0.13
545/2, 551/2	0.13
545/3, 551/3	0.13
711/3, 712/3, 714/3	0.30
558	0.25
559	0.27
560/1	0.22
560/2	0.85
560/3	1.25
561	0.60
713	0.17
726	0.21
711/1, 712/1, 714/1	0.30
711/2, 712/2, 714/2	0.30
715	0.15
योग 20	6.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्रमांक 12 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हाईबंद, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-75.74 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
583	0.37
250/1	0.25
582/1	0.80
428/23	0.20
582/2	0.66
581/1	0.41
51/12	0.42
581/4	0.16
581/6	0.22
581/2	0.35
581/3	0.38

(1)	(2)	(1)	(2)
581/5	0.40	590/8	0.27
580/2	0.08	590/9	0.27
579/3	0.22	590/10	0.26
579/2	0.38	590/11	0.26
579/1	0.05	590/12	0.64
577/4	0.25	590/13	0.15
579/4	0.13	142/57	0.20
577/7	0.12	590/14	0.15
226/3	0.11	49/1, 50/1	0.90
578/1	0.35	49/2, 50/2	0.61
602	0.02	46/2, 51/9	0.40
588	0.65	51/10	0.28
577/2	0.36	51/4	0.60
594/2, 597/2	0.48	51/8	1.00
576	0.50	53/6	0.09
589/1	0.75	51/5	0.06
594/1, 597/6	0.30	53/1	0.56
574/2	0.04	53/3	0.15
575/3	0.24	675	1.31
549/6	0.42	41	2.10
549/7	0.08	42/1	0.02
549/8	0.55	42/2	0.32
549/4	0.07	94/1	0.25
549/9	0.40	95/2	0.30
549/15	0.40	40/1	0.14
549/16	0.40	40/2	0.21
613/2	0.25	39/4	0.21
540	0.45	39/2	0.10
612/4	0.09	29/1	0.06
606/1	2.00	29/5	0.12
606/2	0.80	23/2, 25/5	0.30
607	0.90	29/2	0.25
605	0.37	23/3	0.56
604/1	0.20	23/4	0.42
604/2	0.19	94/3	0.40
604/3	0.10	95/1	1.15
603	0.18	94/2	0.40
595	1.11	96/6	0.53
596	0.81	142/17	0.10
593	0.34	96/2	0.16
590/4	1.75	96/7	1.27
590/5	0.40	96/8	0.22
590/15	0.40	96/9	0.19
590/16	0.40	142/18	0.40
590/17	0.40	96/27, 142/38	0.14
590/18	0.40	96/31, 142/47	[illegible]

(1)	(2)
96/14	0.24
142/15	0.18
142/54	0.22
142/55	0.21
142/56	0.22
142/20	0.20
142/21	0.70
142/7	1.20
142/58	0.20
142/59	0.20
142/25	0.02
142/52	0.15
142/53	0.12
142/34	0.06
142/35	0.05
96/17	0.07
142/51	0.30
96/36	0.13
96/37	0.12
79/2	0.27
79/3	0.37
79/6	0.18
542/7	0.16
542/15	0.16
542/12	0.78
542/8	0.35
542/11	0.40
542/14	0.66
542/10	0.02
542/9	0.44
542/1	0.60
541/6	0.02
191/3	0.40
193/5	0.36
541/9	0.20
541/10	0.15
541/11	0.15
542/2	0.36
539/7	0.50
539/1	0.20
539/5	0.14
539/6	0.21
539/16	0.25
538/2	0.30
539/2	0.25
227	0.24

(1)	(2)
538/1	0.03
538/3	0.30
538/4	0.30
428/3	0.18
428/4	0.18
428/1	0.61
428/26	0.12
428/29	0.35
428/18	0.05
249/6	0.30
247/2	0.04
247/3	0.33
244/5, 245/5, 246/2	0.01
244/4	0.80
245/4	0.26
245/1	0.10
243/4	0.23
245/2	0.74
243/3	0.15
243/6	0.78
224/3	0.04
243/1	0.30
243/2	0.80
236	0.69
237/2	0.07
237/3	0.12
234/1, 234/2, 234/3	0.60
237/1	0.15
235	0.30
239	1.45
209/1, 209/2, 209/3	0.75
191/2	0.26
191/9	0.26
191/1	0.01
191/5	0.01
191/6	0.02
191/7	0.01
191/8	0.01
191/4	0.06
194/1	0.06
194/3	0.40
193/3	0.12
193/1	0.12
193/2	0.14
193/4	0.07
194/4	0.20

(1)	(2)
194/5	0.40
187/3	0.07
187/4	0.70
182/3	0.12
187/1	0.76
187/5	0.28
188	0.10
187/6	0.52
182/8	0.65
182/7	0.04
185/3	0.27
182/4	0.50
185/1	0.46
225/7	0.44
224/4	0.33
224/6	0.67
55/2	0.25
55/4	1.20
योग 213	75.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th December 2009

No. 997/Confdl./2009/II-1-1/2008.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/1/2009-US.II Dated December 04, 2009 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Tankeshwar Prasad Sharma, Additional Judge of High Court of Chhattisgarh has assumed charge of the Office of Judge of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in the afternoon of December 09, 2009.

Bilaspur, the 11th December 2009

No. 1003/Confdl./2009/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13030/1/2008-US.II Dated 7th December 2009 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra and Hon'ble Shri Justice Manindra Mohan Shrivastava have assumed charge of the Office of Additional Judge of High Court of Chhattisgarh Bilaspur in the forenoon of December 10, 2009.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 11th December 2009

No. 183/L. G./2009/II-2-40/2001.—Shri Raghubir Singh, Judge, Family Court, Ambikapur is hereby, Granted earned leave for 13 days from 14-12-2009 to 26-12-2009 and permission to prefix holidays from 12th to 13th December, 2009 and suffix holidays from 27th to 28th December, 2009 along with permission to remain out of headquarters from 12-12-2009 to 28-12-2009.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+02 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.